उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

::पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना" ::

बोर्ड अधिसूचना संख्या 4332-4430/श्र0नि0(87)-2011, दिनांक 15.07.2011 द्वारा अधिसूचित।

1. योजना का नाम :- कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना।

2. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का उद्देश्य बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल सम्बन्धी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ करवाया जाना है। निर्माण कार्य से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के श्रमिक केवल अनुभव के आधार पर ही कार्य करते हैं- इनके लिये औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था का पूर्णरूपेण अभाव है। कौशल उन्नयन तथा दक्षता विकास के संस्थागत अभाव में सामान्यतया इन श्रमिकों को उचित मजदूरी एवं बेहतर सेवाशर्तों का लाभ भी नही मिल पाता है। औपचारिक प्रशिक्षण का लाभ ये श्रमिक एवं उनके पुत्र/पुत्री मुख्यतया धनाभाव के कारण प्राप्त नही कर पाते है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे प्रशिक्षण में हुए व्यय तथा मजदूरी के नुकसान (जैसी भी स्थिति हो) की प्रतिपूर्ति करना है।

3. पात्रता :-

योजना के पात्रता हेतु श्रमिक का बोर्ड द्वारा लाभार्थी श्रमिक पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस योजनान्तर्गत लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अथवा उनकी पत्नी अथवा उनके ऊपर आश्रित अविवाहित पुत्री, 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्रों को ही सुलभ हो सकेगा। योजना के अन्तर्गत लाभ किसी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शासकीय पालीटेक्निक अथवा निजी पालीटेक्निक से किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र जो तकनीकी उन्नयन/प्रमाणीकरणों से सम्बन्धित हो, में प्रशिक्षण प्राप्त करने की दशा में ही सुलभ हो सकेगा।

परन्तु यह कि यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण उपरान्त उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा।

परन्तु यह भी कि शैक्षिक संस्थानों का शुल्क वही देय होगा जो शासन द्वारा अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क समितियों में तय हुआ है तथा शासन की अन्य मद से प्रतिपूर्ति की योजनाओं से वहन भी न हो।

4. योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ :-

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित अन्य लेखन सामग्री इत्यादि के व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं भाग लेता है तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि की मजदूरी (जो सम्बन्धित कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरूप होगी) की प्रतिपूर्ति भी बोर्ड द्वारा की जायेगी। प्रशिक्षण शुल्क एवं प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तकों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु श्रमिक को उस संस्थान से प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में मजदूरी की प्रतिपूर्ति केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में ही की जायेगी न कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों के संदर्भ में।

5. आवेदन प्रक्रिया :-

(1) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 03 माह से अधिक अवधि में परन्तु 06 माह की अवधि के अन्दर प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों में बोर्ड के सचिव द्वारा पर्याप्त कारण उपलब्ध कराये जाने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा, परन्तु 06 माह से अधिक विलम्बित अवधि के प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ☆

(2) आवेदक द्वारा अपना प्रार्थना पत्र निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय में तहसीलदार को अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक का निर्गत पहचान-पत्र की फोटो प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) आवेदन पत्र के साथ प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमाण-पत्र की फोटोप्रति, प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था द्वारा दिया गया व्यय का प्रमाण-पत्र मूलरूप में एवं संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण-पत्र कि आवेदक अथवा उसकी पत्नी/पुत्र/पुत्री ने किन तिथियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रकिया, भुगतान की प्रकिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रकिया –

(1)– योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/ विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अंदर यथासम्भव जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होने की दशा में ही प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे ताकि आवेदक निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से दुबारा बुलाने की आवश्यकता न हो। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र समय से स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सके।

(2)– जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से यथासम्भव 03 दिन के अंदर जिलाधिकारी के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों/संलग्नकों की अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जाए।

(3)– जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिप्रमाणित अभिलेखों से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार अनुमन्य धनराशि के स्वीकृति के आदेश पत्रावली पर किए जायेंगे। जिलाधिकारी

यदि ऐसा आवश्यक/वांछनीय प्रतीत करें, तो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की स्थलीय जाँच के आदेश भी जिला श्रम कार्यालय के अधिकारी के माध्यम से कर सकते हैं अथवा जिलाधिकारी एक संयुक्त जाँच टीम गठित करते हुए सम्यबद्ध स्थलीय जाँच करवा सकते हैं। स्वीकृत सम्बन्धी यह कार्यवाही यथासम्भव पत्रावली प्रस्तुत होने के 10 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी।

(4)- प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत/अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी, उसकी सूचना प्रपत्र-2 पर आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(5)- जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में यथासम्भव 10 दिन के अंदर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा इस प्रकार जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 03 दिन के अंदर, सम्बन्धित निर्माण श्रमिक/लाभार्थी के नाम से रेखांकित चेक स्वीकृत धनराशि का उल्लेख करते हुए निर्गत किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी के बैंक खाता नम्बर, शाखा इत्यादि का भी स्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। इस प्रकार निर्गत चेक सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा। बोर्ड का आगामी छः मास में यह प्रयास होगा कि सम्बन्धित श्रमिक/लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी परंतु जब तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो जाती है,तब तक इस प्रस्तर में पूर्व उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(6)- इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेखांकित चेक जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए, लाभार्थी को यथासम्भव 07 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा और उससे प्राप्ति रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित रखी जायेगी।

(7)- इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

7. कठिनाईयों का निवारण :-

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश, इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

नोट :- ★ उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पत्र संख्याः 7409-7500/भ0नि0बो0(95)-2013, दिनांक16.09.2011 द्वारा विलम्बित प्रार्थना पत्र योजनाओं में उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत विलम्बमोचन के अधिकार समस्त जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किये गये है।

(4)

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या– 659/36–2–2011, दिनांक 14.07.2011 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना इस शर्त के साथ अधिसूचित की जाती है कि शैक्षिक संस्थाओं का शुल्क वहीं देय होगा जो शासन द्वारा अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क समितियों में तय हुआ है तथा शासन की अन्य फीस प्रतिपूर्ति की योजनाओं से वहन भी न हो।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांक: 4332-4439/भवन निर्माण–(87)/2011, दिनांक– 15-07-2011

प्रतिलिपि– *निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 659/36–2–2011, दिनांक 14.07.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नक: यथोक्त।

(पंकज कुमार) 15/7/11
अपर सचिव।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 4332–4430/भ0नि0बो0(87)–11, दिनांक–15.07.2011 के माध्यम से "कौशल विकास, तकनीकी, उन्नयन एवं प्रमाणन योजना" अधिसूचित की गई थी।

तत्क्रम में बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–11/1488/छत्तीस–2–14–92/11 दिनांक–10.12.2014 के माध्यम से अनापत्ति प्रदान करते हुए पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **"कौशल विकास, तकनीकी, उन्नयन एवं प्रमाणन योजना"** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किए गए हैं–

<u>प्रस्तर–3, पात्रता–</u>

योजना की पात्रता हेतु श्रमिक का बोर्ड द्वारा लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस योजनान्तर्गत लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही अथवा उनकी पत्नी अथवा उनके ऊपर आश्रित अविवाहित पुत्री, 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्रों को ही सुलभ हो सकेगा।

परन्तु यह कि यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण के उपरान्त उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा।

योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कौशल विकास मिशन के तहत कराया जायेगा।

(एस0डी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

<u>उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।</u>

पत्रांक– 6129-35/भ0नि0बो0(87)–2014 दिनांक– 15/12/14

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त(पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त उ0प्र0(कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या–11/1488/छत्तीस–2–14–92/11 दिनांक–10.12.2014 के क्रम में सूचनार्थ।

(राजीव मिश्रा)
सहायक सचिव, बोर्ड।